



अध्याय X विविध रूचिकर मामले

10.1 उप ठेकेदार द्वारा सीसीएस पर सेवा कर का भुगतान न करना

दिनांक 23 अगस्त 2007 के बोर्ड के परिपत्र सं० 96/7/2007- एसटी में परिकल्पित है कि जहाँ कर योग्य सेवाप्रदाता दूसरे सेवाप्रदाता (उप ठेकेदार) को लगा कर कार्य के एक भाग के लिए बाहर से साधन जुटाता है, उप ठेकेदार को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा पर सेवा कर का भुगतान करना पड़ता है।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (25बी) के अनुसार, सीसीएस में एक पाइप लाईन, व्यापार अथवा उद्योग के लिए अभिप्रेत अथवा उपयोग की गई कन्ड्यूट का निर्माण शामिल है।

10.1.1 हैदराबाद-II कमिश्नरी में, मै. धरती ड्रेजिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मै० पुन्ज लोयड लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन की खाई खोदने और वापस भरने के कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 32 करोड़ का एक उप-ठेका प्रदान किया गया। यह उरान से ट्रॉम्बे तक 20 गैस पाइप लाईनों को बिछाने के मुख्य ठेके का एक भाग था। निर्धारिती ने कार्य निष्पादन के लिए अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान भुगतान प्राप्त किया परन्तु ₹ 3.85 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। निर्धारिती ₹ 83.74 लाख के ब्याज और ₹ 3.85 करोड़ तक की शास्ति का भुगतान करने का दायी भी था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (सितम्बर 2008), विभाग ने आपत्ति स्वीकार की (अप्रैल 2009) और सूचित किया कि ₹ 85 करोड़ के लिए एससीएन जारी कर दिया गया था (मार्च 2009)।

10.1.2 रायपुर कमिश्नरी में, मै. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स एण्ड कन्सट्रक्सन लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने पाया कि मै. सुनिल हाईटेक इन्जिनियर्स लिमिटेड ने मै. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स के उप-ठेकेदार के रूप में सेवा प्रदान की जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 7.65 करोड़ प्राप्त किए। उप ठेकेदार ने निर्धारिती से कोई सेवा कर शुल्क नहीं लिया। यह स्पष्ट है कि उप ठेकेदार ने ₹ 94.56 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। ₹ 12.29 लाख का ब्याज और ₹ 94.56 लाख तक की शास्ति भी उदग्रहणीय थी।

10.1.3 कोलकाता एसटी कमिश्नरी के डिविजन III में, एक उप ठेकेदार के रूप में सीसीएस प्रदान करने में लगे मै. जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने प्रदान की गई सेवाओं के लिए ₹ 5.09 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया लेकिन अप्रैल 2006 से मार्च

2008 की अवधि के दौरान ₹ 62.66 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। ₹ 12.20 लाख का ब्याज और शास्ति भी उदग्रहणीय थी।

10.2 ठेकेदार द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना

10.2.1 जून 2006 में चण्डीगढ़ कमिश्नरी में वायु सेना ने मै. मेधराज बंसल, मनिमाजरा को चण्डीगढ़ में बसने वाली यूनिटों के निर्माण और अधिकारियों, विमान चालकों के लिए बाहरी सेवाएं आबंटित की। हमने पाया कि ठेकेदार ने जून 2008 तक भारतीय वायु सेना से ₹ 21.72 करोड़ की राशि प्राप्त की जिस पर ₹ 2.68 करोड़ के सेवा कर को ठेकेदार द्वारा न तो प्रभारित किया गया और न ही सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया गया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2008), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2009) कि ₹ .68 करोड़ के लिए (छूट की अनुमति दिए बिना) एक एससीएन जारी कर दिया गया था। आगे की प्रगति की प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

10.2.2 हैदराबाद II कमिश्नरी में मै. मयतास इनफ्रा लिमिटेड ने आईआईटी चेन्नई के लिए और सशस्त्र सेनाबलों के लिए कर्मचारी आवास स्थान के निर्माण हेतु जनवरी 2006 से मार्च 2008 तक के दौरान ₹ 92.28 करोड़ प्राप्त किए लेकिन ₹ 3.61 करोड़ के सेवा कर दायित्व को पूरा नहीं किया। निर्धारित ₹ 46.93 लाख के ब्याज और ₹ 3.61 करोड़ तक के शास्ति का भुगतान करने का दायी भी था।

10.3 सेवा का आयात

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ए में अभिकल्पित है कि एक व्यक्ति जो एक अनिवासी है अथवा भारत के बाहर से है और भारत में उसका कार्यालय नहीं है, द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा के सम्बन्ध में भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने का दायी है।

10.3.1 हैदराबाद II कमिश्नरी में, मै. नागार्जुन कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड ने भारत के बाहर से और भारत में कार्यालय न रखने वाले व्यक्तियों की मार्गदर्शक प्रबन्धको की तरह सेवा की और कमीशन के रूप में ₹ 12.99 करोड़ की एक राशि का भुगतान किया। यद्यपि ₹ 1.32 करोड़ का सेवा कर देय था, निर्धारित ने ₹ 1.07 करोड़ का शेष छोड़ते हुए नवम्बर 2007 में मात्र ₹ 25 लाख की एक राशि का भुगतान किया। निर्धारित ₹ 13.76 लाख का ब्याज एवं ₹ 1.07 करोड़ की शास्ति का भुगतान करने का भी दायी था।

10.3.2 दूसरे मामले में हैदराबाद IV कमिश्नरी में, मै. एलियन्स डिवलपर्स (प्रा.) लिमिटेड ने चार विदेशी कम्पनियों से जिनके 2006-07 और 2007-08 के दौरान भारत में कार्यालय नहीं थे और सेवा प्रभार का ₹ 4.58 करोड़ का भुगतान किया लेकिन ₹ 56.13 लाख का सेवा कर दायित्व पूरा नहीं किया। निर्धारित ₹ 7.30 लाख का ब्याज एवं ₹ 56.13 लाख तक की शास्ति का भुगतान करने का दायी भी था।

10.4 गलत एससीएन का जारी करना

पूना III कमिश्नरी में, सीसीएस प्रदान करने वाली मै. भारूवा एण्ड मोतीवाला पूना प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2006 से जून 2006 तक की अवधि के दौरान प्रदान किए गए सेवा के उपशमित मूल्य पर सेवा कर का भुगतान किया लेकिन इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट भी प्राप्त किया। विभाग ने अनियमितता का अवलोकन किया और अन्तरीय सेवा कर का कुल मूल्य के आधार पर भुगतान करने के बजाय सेवा कर की अन्तरीय राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारिती को निदेश दिए, निर्धारिती ने मार्च 2006 के दौरान प्राप्त किए गए सेनवेट क्रेडिट की राशि का भुगतान किया। विभाग ने केवल मार्च 2006 माह के लिए अन्तरीय सेवा कर की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। एससीएन में अप्रैल 2006 से जून 2006 तक की भी अवधि को शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान इनपुट सेवाओं पर निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना और उपयोग करना जारी रखा था।

इसे शामिल न किए जाने के कारण, ब्याज सहित ₹ 39.63 लाख की मांग को जारी नहीं किया गया था।

10.5 इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से रिटर्न का फाइल न करना

दिनांक 21 सितम्बर 2006 की अधिसूचना सं0 27/2006-एसटी के अनुसार, एक निर्धारिती, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ पचास लाख अथवा इससे अधिक के सेवा कर का भुगतान किया है अथवा चालू वित्तीय वर्ष में ₹ पचास लाख के सेवा कर का पहले ही भुगतान कर दिया है, 1 अक्टूबर 2006 के प्रभाव से इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेवा कर का भुगतान करना होगा।

रायपुर कमिश्नरी में, मै. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड ने जीएआर-7 चालान के माध्यम से और गैर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2007-08 के दौरान ₹ 55.40 लाख के सेवा कर का भुगतान किया जो अधिसूचना का उल्लंघन था।

इसी प्रकार दिल्ली एसटी कमिश्नरी में, मै. तीरथ राम आहुजा प्राइवेट लिमिटेड ने भी अक्टूबर 2006 से आगे ई-भुगतान विकल्प का उपयोग नहीं किया था यद्यपि वर्ष 2005-06 के दौरान निर्धारिती ने ₹ 50 लाख से अधिक का सेवा कर भुगतान किया था।

10.6 टीआर-6 चालानों के साथ एसटी-3 रिटर्नों में दिखाए गए आंकड़ों में अन्तर

10.6.1 हमने कोलकाता एसटी कमिश्नरी के डिविजन-II में मै. आहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्नों और चालानों की तुलना की और पाया कि मार्च 2006 में फाइल की गई एक रिटर्न ने दर्शाया कि क्रमशः ₹ 43.53 लाख और ₹ 0.87 लाख के सेवा कर और शिक्षा उपकर का भुगतान चालान सं0 044/01/1036/06-07 के माध्यम से किया गया था। तथापि, चालान ने दर्शाया कि

₹ 21.05 लाख और ₹ 42 लाख की राशि वाले सेवा कर और शिक्षा उपकर वास्तव में जमा कर गए थे। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 22.93 लाख के शिक्षा उपकर सहित सेवा कर का कम भुगतान हुआ था। निर्धारिती ₹ 5.97 लाख का ब्याज और ₹ 22.93 लाख तक की शास्ति का भुगतान करने का भी दायी था।

विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

10.6.2 दिल्ली कमिश्नरी में, मै. गैन्नाँन डुनकरले कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान रिटर्नों के साथ जो चालान संलग्न किए थे उनमें दर्शायी गई राशि रिटर्नों में दर्शाई गई राशि से ₹ 158.24 लाख तक कम थे।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (फरवरी 2008), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2010) कि निर्धारिती ने ₹ 149.35 लाख के लिए चालानों की प्रतियाँ प्रस्तुत की थीं लेकिन ₹ 8.89 लाख की शेष राशि के लिए कोई उत्तर नहीं दिया था। इस प्रकार, ₹ 8.89 लाख की कम अदायगी लागू ब्याज और शास्ति सहित वसूली-योग्य थी।

नई दिल्ली
दिनांक :

(सुवीर मल्लिक)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक